उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 111/2025–26 दिनांक : 08.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मैसर्स एन.एस.आर. लुमेन टेक प्राईवेट लिमिटेड, परिवादी
प्लॉट नं0 52, 53, सेक्टर नं0 06, आईआईई, सिडकुल, पंतनगर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी मैसर्स एन.एस.आर. लुमेन टेक प्राईवेट लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K000243147 (200 किलोवाट औद्योगिक) का विद्युत बिल सही आ रहा था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के तुरन्त बाद ही इतना अधिक बिल प्रेषित किया गया है कि वह पिछले बिलों की तुलना में असामान्य है। जबकि उनकी विद्युत खपत सामान्य है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 29.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025, 10.09.2025 व 22.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4152 दिनांक 20.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर में ज्यादा खपत आने से सम्बन्धी शिकायत को खण्ड स्तर से सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर को पत्र संख्या–3344 दिनांक 30.07.2025 को अग्रसारित कर दिया गया था। सहायक

क्रमशः 2.....

अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर द्वारा दिनांक 26.08.2025 को चैक मापक संख्या—5706629 परिवादी के परिसर पर स्थापित कर दिया गया। सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर द्वारा दिनांक 08.09.2025 को चैक मापक संख्या—5706629 फाइनल किया गया, जिसमें परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या—46000833 एवं चैक मापक संख्या—5706629 में विद्युत खपत Under permissible limit में पायी गयी है। वर्तमान में उक्त परिवादी द्वारा अपने वर्तमान माह 08 / 2025 के विद्युत बिल धनराशि रू0 596873.00 का भुगतान दिनांक 16.09.2025 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के मापक के परीक्षण हेतु दिनांक 26.08.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 08.09.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पुराना मापक सही पाया गया। सही मापक के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की वर्तमान शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा अपने माह 08 / 2025 के बिल का भुगतान भी कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 84/2025–26 दिनांक : 08.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 मायरा टेक्नो पैकर्स प्रा0 लि0, परिवादी
प्लॉट नं0 47ए, सेक्टर नं0 07, सिडकुल, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी मै0 मायरा टेक्नो पैकर्स प्रा0 लि0 का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.07.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K000004844 (67 किलोवाट औद्योगिक) के विद्युत बिलों में पिछले कई महीनों में PF-1 (एक) आ रहा है तथा बिल यूनिट लगभग 8000–9000 तक आ रही है। विभागीय कार्यालय में शिकायत करने पर विभाग द्वारा 2–3 माह पूर्व मीटर बदला गया और स्मार्ट मीटर लगाया गया है। मीटर स्थापित होने के बाद PF-0.86 से 0.87 आ रहा है और मीटर में यूनिट खपत भी ज्यादा आ रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 08.07.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.07.2025, 04.08.2025, 29.08.2025, 10.09.2025 व 22.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4151 दिनांक 20.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर में ज्यादा खपत आने एवं कम पॉवर फैक्टर आने से सम्बन्धित शिकायत को खण्ड स्तर से सहायक

क्रमशः 2.....

अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर को पत्र संख्या–2989 दिनांक 18.07.2025 को अग्रसारित कर दिया गया था। उक्त प्रकरण में सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर द्वारा दिनांक 26.08.2025 को चैक मापक संख्या–5706630 परिवादी के परिसर पर स्थापित कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर द्वारा दिनांक 09.09.2025 को चैक मापक संख्या–5706630 फाइनल किया गया, जिसमें परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक संख्या–46000645 एवं चैक मापक संख्या–5706630 में खपत Under permissible limit में पायी गयी है। वर्तमान में परिवादी द्वारा अपने माह 08 / 2025 के विद्युत बीजक रू0 95103.00 का भुगतान दिनांक 10.09.2025 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मीटर रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के मापक के परीक्षण हेतु दिनांक 26.08.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 09.09.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पुराना मापक सही पाया गया। सही मापक के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की वर्तमान शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा अपने माह 08 / 2025 के बिल का भुगतान भी कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र भ्रयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 112/2025–26 दिनांक : 08.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मैसर्स शक्ति राईस मिल एण्ड दाल मिल, परिवादी
c/o श्री मुकेश अग्रवाल वास्ते श्री अंकेश अग्रवाल,
रूद्रपुर रोड, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी मैसर्स शक्ति राईस मिल एण्ड दाल मिल, c/o श्री मुकेश अग्रवाल की ओर से श्री अंकेश अग्रवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 01.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा अपने संयोजन संख्या–KC0K000030623 (450 केवीए औद्योगिक) हेतु माह अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक ऑफ सीजन की अर्जी नहीं दी गई थी, परन्तु विभाग द्वारा उनके बिल में उक्त अवधि को स्वयं ऑफ सीजन प्रदर्शित कर दिया गया। उनके द्वारा जब उक्त मिल कारखाना चलाया गया तो उक्त संयोजन के माह अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक के विद्युत बिलों में ऑफ सीजन लोड रू0 13162.50 अतिरिक्त शुल्क प्रतिमाह लगाया गया। इसकी शिकायत विभागीय कार्यालय में भी की गयी तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, कि उनके विद्युत बिल में ऑफ सीजन शुल्क समयोजित कर दिया जायेगा, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिलों में लगाये गये ऑफ सीजन शुल्क को वापिस कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 01.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025, 11.09.2025 व 22.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के

क्रमशः 2.....

तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—4145 दिनांक 20.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या—4144 / वि0वि0ख0 (कि0) / दिनांक 20.09.2025 के अनुसार परिवादी के विद्युत बिलों में लगायी गई त्रुटिपूर्ण ऑफ सीजन पेनल्टी रू0 78975.00 को परिवादी के विद्युत बिल में समायोजित कर दी गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कार्यालय आदेश, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र भ्रयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 114/2025–26 दिनांक : 08.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, परिवादी
सिविल लाईन, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU7N488072352 (05 किलोवाट घरेलू) का पिछले कुछ माह से विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। विभाग द्वारा माह जून का बिल रू0 25488.00 का बनाया गया है जो बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल की जांच कर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 04.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.08.2025, 10.09.2025 व 22.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3240 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया था जिसे दिनांक 11.09.2025 को फाइनल किया गया है। चैक मापक के अनुसार परिवादी का विद्युत मीटर त्रुटिपूर्ण पाया गया है, जिसे उसी दिन बदल कर नया मीटर लगा दिया गया है। साथ ही परिवादी के पुराने मीटर को आईडीएफ मानते हुए पिछले तीन साईकिल औसत खपत के आधार पर

क्रमशः 2.....

परिवादी के विद्युत बिलों को संशोधित कर रू0 (–) 38877.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 118/2025–26 दिनांक : 09.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री वेद प्रकाश शर्मा वास्ते श्री रवि प्रकाश शर्मा, परिवादी
पता–गौतम नगर, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री वेद प्रकाश शर्मा की ओर से श्री रवि प्रकाश शर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–310CGH1054378 (02 किलोवाट घरेलू) पर दिनांक 05.05.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था। स्मार्ट मीटर स्थापित होने से सम्बन्धित प्रति पर श्री रामनाथ यादव का नाम अंकित है जोकि गलत है। जबकि उनके पिता का नाम श्री वेद प्रकाश शर्मा है। इसी कारण उन्हें 03 माह से कोई भी बिल प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में उनके पिता श्री वेद प्रकाश शर्मा द्वारा विभागीय कार्यालय में शिकायत भी की गई है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उनके पिता वरिष्ठ नागरिक है जो विभागीय कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे है फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक की जांच कर वास्तविक विद्युत मापक को लगवाने एवं संशोधित विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 11.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.08.2025, 12.09.2025 व 23.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—7402 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का स्मार्ट मीटर अन्य किसी उपभोक्ता के एकाउंट में प्रविष्ट हो गया था, जिसे संशोधित करते हुए परिवादी के वास्तविक स्मार्ट मीटर की सीलिंग को आर.ए.पी.डी.आर.पी. सिस्टम में फीड कर दिया गया है। साथ ही परिवादी का विद्युत बिल रू0 7509.00 भी जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र पयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 131 / 2025–26 दिनांक : 09.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री लाजर मसीह पुत्र श्री आशा मसीह,
म0नं0 501, वार्ड नं0 36, आदर्श कालोनी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री लाजर मसीह पुत्र श्री आशा मसीह का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2A464052342 (01 किलोवाट घरेलू) का माह जुलाई व अगस्त 2025 का बिल दिनांक 29.08.2025 को प्रेषित किया गया है। 02 माह का एकमुश्त बिल बनने से उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है, वह एक पेंशनभोगी कर्मचारी है। समयानुसार बिल प्राप्त न होने के कारण रू0 3329.00 का एकमुश्त भार उन पर पड़ा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को समयानुसार जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 04.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 12.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.09.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3245 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को माह 07 / 2025 का विद्युत बिल एनए के आधार पर जारी किया गया है जिसका समायोजन माह 08 / 2025 के बिल में स्वतः ही हो गया है। परिवादी द्वारा अपने बिल का भुगतान भी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—131 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 135 / 2025–26 दिनांक : 09.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 शान्ति इलेक्ट्रोमोबिलिटी सीओ श्री राहुल सरीन, परिवादी
5ए3, सेक्टर 09, आईआईई, सिडकुल, पंतनगर, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी मै0 शान्ति इलेक्ट्रोमोबिलिटी की ओर से श्री राहुल सरीन का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके अस्थाई विद्युत संयोजन संख्या–RUDRAPUR00652 जिस परिसर पर स्थापित है वहां पिछले 05 दिनों से विद्युत आपूर्ति बन्द है। विद्युत आपूर्ति बन्द होने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालय में भी शिकायत की गई है, परन्तु कोई समाधान नहीं किया गया है। इससे पहले भी मीटर रिचॉर्ज प्रक्रिया के दौरान काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जिससे विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क करने पर समस्या के समाधान हेतु आश्वासन दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और निर्माण स्थल पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। उक्त समस्या हेतु विभागीय कार्यालय में पुनः सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मीटर रिचार्ज नहीं होगा क्योंकि मीटर खराब हो गया है, इसे बदलना पड़ेगा। मीटर रिचार्ज एवं मीटर बदलने हेतु विभागीय कार्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई, जो अनुचित है। विभाग द्वारा उक्त मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त अस्थाई विद्युत संयोजन की विद्युत आपूर्ति को सुचारू कराने एवं विभाग द्वारा किए गये उक्त कृत्य पर कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 10.09.2025 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.09.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4145 दिनांक 20.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 10.06.2025 को एक अस्थायी 04 किलोवाट भार हेतु विद्युत संयोजन आवेदन किया गया था। आवेदन के सापेक्ष परिवादी द्वारा नये विद्युत प्री–पेड मापक का प्रतिभूति शुल्क धनराशि एवं सर्विस चार्ज की कुल धनराशि रू0 7000.00 का भुगतान करने के उपरान्त खण्ड कार्यालय द्वारा परिवादी को प्री–पेड मापक संख्या–Z0118143 निर्गत किया गया एवं विद्युत सप्लाई जारी की गई। परिवादी की विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर दिनांक 04.09.2025 को मापक संख्या–Z0118143 को खण्ड कार्यालय में लाया गया, जिसकी जांच करने पर उक्त मापक संख्या–Z0118143 खराब पाया गया। इसके उपरान्त दिनांक 04.09.2025 को ही परिवादी को उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा नये विद्युत प्री–पेड मापक का प्रतिभूति शुल्क रू0 5000.00 का भुगतान किया गया एवं खण्ड कार्यालय द्वारा परिवादी के परिसर पर नया अस्थाई प्री–पेड विद्युत मापक संख्या–Z0118006 निर्गत किया गया एवं विद्युत सप्लाई को सुचारू कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अस्थाई प्री–पेड मीटर की सर्विस रिलीज एवं प्रतिभूति शुल्क की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र प्रयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 136/2025–26 दिनांक : 09.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती उर्मिला सुनार, परिवादी
शान्ति विहार, वार्ड नं0 33, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती उर्मिला सुनार का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनकी कालोनी शान्ति विहार वार्ड नं0 33, रूद्रपुर में दिनांक 07.09.2025 को सुबह से ही विद्युत आपूर्ति बाधित रही है। क्योंकि आज रविवार का दिन है लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना एवं अन्य कार्यों को पूर्ण करते है, लेकिन बिना बिजली के कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। जिस कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी उक्त कालोनी की विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 10.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.09.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3244 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 07.09.2025 को खण्ड कार्यालय द्वारा 33/11 के.वी. उपकेन्द्र दानपुर के क्षेत्रान्तर्गत ACSR Bare conductor को insulated covered conductor (AAAC) में बदलना जाना था जिस कारण उक्त तिथि को 11 के.वी. शट्डाउन प्रस्तावित था जिसकी सूचना मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित करवा दी गयी थी। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में विद्युत

क्रमशः 2....

आपूर्ति सामान्य रूप से सुचारू है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बाधित सूचना की प्रति एवं समाचार पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 07.09.2025 को 33 / 11 केवी उपकेन्द्र दानपुर क्षेत्र में ACSR Bare conductor को insulated covered conductor (AAAC) में बदलने हेतु शट्डाउन लिया गया था, जिसकी सार्वजनिक सूचना नियमानुसार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी। चूंकि उक्त तिथि पर विपक्षी विभाग द्वारा विभागीय नियमानुसार ही शट्डाउन लिया गया था। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 138 / 2025–26 दिनांक : 09.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पुष्पा भदुला, परिवादी
शिवालिक कालोनी, कुण्डेश्वरी, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पुष्पा भदुला का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371KB11039630 (घरेलू) जिस परिसर / कालोनी में स्थापित है वहां अक्सर विद्युत आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। कई बार तो कई–कई घण्टों तक विद्युत कटौती रहती है जिससे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पॉवर हाउस में कई बार शिकायत की गई, परन्तु को स्थायी समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर की विद्युत आपूर्ति का स्थायी समाधान कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.09.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7404 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर से सम्बन्धित अवर अभियन्ता, कुण्डेश्वरी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में बताया कि परिवादिनी के Connection terminal पोल से ढीले होने के कारण विद्युत वोल्टेज में उतार–चढ़ाव हो रहा था। विद्युत पोल से Connetion terminal को टाईट कराकर परिवादिनी के परिसर की विद्युत आपूर्ति सुचारू करा दी गई है।

क्रमशः 2....

वर्तमान समय में उक्त परिसर में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। विभागीय उक्त कार्यवाही पर परिवादिनी ने भी अपनी लिखित सहमति प्रकट की है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता रिपोर्ट एवं परिवादिनी द्वारा लिखित संतुष्टि पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 119/2025–26 दिनांक : 24.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुखवन्त सिंह पुत्र श्री साधू सिंह,
पता–वार्ड न0 09, आवास विकास, किच्छा। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सुखवन्त सिंह पुत्र श्री साधू सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–889B140001806 (7.5 एच0पी0 नलकूप) उनके खेत ग्राम नजीमाबाद, सितारगंज में स्थापित है, जो काफी समय से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। वर्तमान में उक्त परिसर/खेत में पोपलर के पेड़ स्थापित है फिर भी बिल अधिक प्रेषित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 11.08.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.08.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.08.2025, 11.09.2025, 23.09.2025 व 08.10.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2609 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 03.01.2024 को विद्युत बिल सम्बन्धी शिकायत फोरम के समक्ष दर्ज करायी गयी थी, जिसके उपरान्त परिवादी के विद्युत बिल को एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर संशोधित कर रू0 58300.68 का बना दिया गया था, परन्तु

क्रमशः 2.....

परिवादी द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया। इसके दिनांक 08.10.2025 को सुनवाई के दौरान सहायक अभियन्ता (राजस्व) द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी के विद्युत बीजक पूर्व में ही संशोधित किए जा चुके हैं। संशोधन के उपरान्त परिवादी द्वारा विद्युत बिल रू0 58300.68 जमा किया जाना था, जिसके सापेक्ष परिवादी द्वारा दिनांक 29.02.2024 को रू0 18500.00 एवं दिनांक 09.03.2024 को रू0 18000.00 जमा किये गये हैं। साथ ही माह 12 / 2023 के उपरान्त परिवादी को आईडीएफ के आधार पर अधिक यूनिट के बिल जारी किए गये हैं, जिन्हें पिछले बिलों की औसत खपत 381 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर माह 03 / 2025 तक संशोधित कर रू0 40448.00 का बना दिया गया है; जो परिवादी द्वारा भुगतान किया जाना है। साथ ही विद्युत बिल बकाया होने पर दिनांक 09.04.2025 को परिवादी का उक्त विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया था। उक्त विद्युत बिल का भुगतान होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा माह 03 / 2025 तक का बिल संशोधित कर परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 124 / 2025–26 दिनांक : 24.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 सिंघल स्पिनटेक्स प्रा0 लि0, परिवादी
वास्ते श्री सुरेन्द्र रावत (एकाउंट मैनेजर),
133, नन्द नगर, इण्डिस्टियल इस्टेट, फेज–3, महुआखेड़ा, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 सिंघल स्पिनटेक्स प्रा0 लि0 की ओर से श्री सुरेन्द्र रावत (एकाउंट मैनेजर) का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.08.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000007034 (1450 केवीए औद्योगिक) का माह मई व जनू 2025 के विद्युत बिलों में संशोधन हेतु विभागीय कार्यालय में दिनांक 05.08.2025 को लिखित शिकायत की गई थी। जिसमें विभागीय कार्यालय को बताया गया था कि बिल में दर्शाए गये पीक आवर्स की यूनिट गलत दर्ज की गई जिसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि मई व जून 2025 में पीक आवर्स नहीं है। बिल में दर्शायी गई यूनिट और मीटर बदलते समय पुराने मीटर में मौजूद यूनिट के अनुसार ऑफ पीक यूनिट 356600 होनी चाहिए, लेकिन बिल के अनुसार 339880 यूनिट है। आर–3 की यूनिट का अंतर 16720 है जो आर–2 (10160) और आर–1 (6560) में जोड़ा गया है। आर–1 व आर–2 की दरें अधिक होने के कारण विद्युत बिल में सीधे रू0 50,000.00 की वृद्धि हो रही है। माह मई व जून 2025 के लिए समयपूर्व भुगतान छूट लागू है, क्योंकि पूर्व में भी सभी बिलों का भुगतान समयपूर्व भुगतान छूट के अंतर्गत किया गया है। जबकि दिए गये बिलों में यह छूट नहीं दी गई हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल का संज्ञान लेते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 21.08.2025 द्वारा

क्रमशः 2..

नोटिस जारी कर दिनांक 30.08.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.09.2025, 23.09.2025 व 09.10.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—7201 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त औद्योगिक विद्युत संयोजन 1450 केवीए भार में स्वीकृत है। परिवादी को दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 का 02 माह की अवधि हेतु एकमुश्त बिल रू0 87,97,568.00 का प्रेषित किया गया है, जिस पर परिवादी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। परिवादी द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति का संज्ञान लेते हुए माह 05 / 2025 तथा 06 / 2025 का लोड सर्वे डाटा उपलब्ध कराया गया है। परिवादी के उक्त लोड सर्वे डाटा से NH/EP/OP Slot को टैरिफ के अनुरूप संशोधित करते हुए माह 05 / 2025 तथा 06 / 2025 के विद्युत बिलों की अलग—अलग गणना की गई, जो निम्न प्रकार है:—

मई—2025	धनराशि रू0— 42,83,498.54
जून—2025	धनराशि रू0— 44,46,626.23
मैनुअली गणित कुल बिल	धनराशि रू0— 87,30,124.77
सिस्टम द्वारा गणित बिल	धनराशि रू0— 87,97,567.82
अंतर	**धनराशि रू0— 67,443.05**

उक्त वर्णित बिल / लोड सर्वे / एम.आर.आई. इत्यादि परिवादी को भी उपलब्ध करा दी गई है। उक्त अंतर रूपये 67,443.05 को परिवादी के आगामी बिल में समायोजित करते हुए घटा दिया जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं लोड सर्वे की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान परिवादी प्रतिनिधि द्वारा विपक्षी विभाग के जवाब पर अपनी सहमति प्रकट की गई।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार परिवादी के आगामी बिल में रू0 67,443.05 समायोजित करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की वह अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 132/2025–26 दिनांक : 24.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुभाषनी अली वास्ते श्री अखलाक अहमद, परिवादी
पता–गऊघाट कठररा, पो0–उत्तमनगर, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुभाषनी अली की ओर से श्री अखलाक अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–889B140004163 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल दिनांक 31.03.2022 को ब्याज माफी योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 96740.00 जमा किया गया था। परन्तु पूर्ण राशि का भुगतान होने के उपरान्त भी ब्याज माफी योजना का लाभ बिलों में नहीं मिला। वह वर्तमान बिलों में जुड़कर आ रहा है। इस सम्बन्ध में कई बार चक्कर लगाये, परन्तु विभागीय कार्यालय की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत बिल में ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 04.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 12.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.09.2025, 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादिनी प्रतिनिधि के एवं विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3254 दिनांक 18.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा अपने विद्युत बिल धनराशि रू0 96746.00 का भुगतान ब्याज माफी योजना के अन्तर्गत किया गया जिसमें उनको ब्याज धनराशि रू0 112008.00

क्रमशः 2....

का लाभ दिया जाना था, जो उनके लेजर में अपडेट नहीं हो पाया था। वर्तमान में परिवादिनी के विद्युत बिल में सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से ब्याजमाफी योजना का लाभ देते हुए रू0 112008.00 का समायोजन दे दिया गया है। समायोजन के उपरान्त परिवादिनी का रू0 14971.00 का संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 137/2025–26 दिनांक : 24.10.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 हिल स्पिनटेक्स प्रा0 लि0, परिवादी
पता–133, नन्द नगर इण्डिस्ट्रीयल इस्टेट,
फेज–3, महुआखेड़ा, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 हिल स्पिनटेक्स प्रा0 लि0 की ओर से श्री सुरेन्द्र रावत (एकाउंट मैनेजर) का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000098917 (890 के.वी.ए. औद्योगिक) का माह मई 2025 व जून 2025 के विद्युत बिलों में सुधार और नियमित अनुवर्ती कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता, काशीपुर कार्यालय को दिनांक 05.08.2025 को लिखित पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। जिसमें अवगत कराया गया था, कि बिल में दर्शायी गई यूनिट और मीटर बदलते समय पुराने मीटर में दर्शायी गई यूनिट के अनुसार ऑफ–पीक यूनिट 233124 होनी चाहिए थी, लेकिन बिल के अनुसार यह 247542 यूनिट है। R3 की यूनिट का अंतर 14418 है, जो R2 (6500) और R1 (7600) में जोड़ा गया है। R1 और R2 की दरें अधिक होने के कारण बिल की राशि में सीधे तौर पर रू0 37000.00 की वृद्धि हो रही है। माह मई 2025 व जून 2025 के समयपूर्व भुगतान छूट हमारे लिए लागू है, क्योंकि पूर्व में भी सभी बिलों का भुगतान समयपूर्व भुगतान छूट के अंतर्गत किया गया है। जबकि उन्हें प्रेषित बिल में यह छूट नहीं दी गई है, परन्तु विभागीय कार्यालय काशीपुर द्वारा उक्त मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 10.09.2025 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 20.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.09.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.09.2025 व 09.10.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7401 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का उक्त औद्योगिक विद्युत संयोजन 890 केवीए भार में स्वीकृत है। परिवादी को दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 का 02 माह की अवधि हेतु एकमुश्त बिल रू0 60,45,856.00 का प्रेषित किया गया है, जिस पर परिवादी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। परिवादी द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति का संज्ञान लेते हुए माह 05/2025 तथा 06/2025 का लोड सर्वे डाटा उपलब्ध कराया गया है। परिवादी के उक्त लोड सर्वे डाटा से NH/EP/OP Slot को टैरिफ के अनुरूप संशोधित करते हुए माह 05/2025 तथा 06/2025 के विद्युत बिलों की अलग–अलग गणना की गई, जो निम्न प्रकार है:–

मई–2025	धनराशि रू0– 26,34,373.83
जून–2025	धनराशि रू0– 35,15,626.11
मैनुअली गणित कुल बिल	धनराशि रू0– 61,49,999.94
सिस्टम द्वारा गणित बिल	धनराशि रू0– 60,45,856.00
अंतर	**धनराशि रू0– (+) 1,04,143.94**

उक्त वर्णित बिल/लोड सर्वे/एम.आर.आई. इत्यादि परिवादी को भी उपलब्ध करा दी गई है। उक्त अंतर रूपये 1,04,143.94 को परिवादी के आगामी बिल में समायोजित करते हुए जोड़ दिया जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं लोड सर्वे की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान परिवादी प्रतिनिधि द्वारा विपक्षी विभाग के जवाब पर अपनी सहमति प्रकट की गई।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार परिवादी के आगामी बिल में रू0 (+) 104143.94 समायोजित करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की वह अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 141/2025–26 दिनांक : 24.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री सदाराम वर्मा, परिवादी
वैशाली इन्क्लेव हाउस नं0 24, ग्राम लालपुर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री राकेश वर्मा पुत्र श्री सदाराम वर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2F322824202 (02 किलोवाट घरेलू) पर सोलर पैनल लगवाया गया है। उक्त संयोजन पर जब से सोलर पैनल स्थापित हुआ है तब आज तक विभाग द्वारा बिल जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4211 दिनांक 26.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर सोलर स्थापित होने के बाद से विद्युत बिल न बनने की उक्त शिकायत के अनुपालन में परिवादी का माह 09/2025 को विद्युत मापक में दर्ज वास्तविक पाठयांक की गणना करते हुए संशोधित बिल रू0 63.86 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का

क्रमशः 2....

समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 142/2025–26 दिनांक : 24.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड,
ग्राम सिरौली, किच्छा। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विपिन चन्द्र तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000134182 (08 किलोवाट व्यवसायिक) का माह जुलाई 2025 का विद्युत बिल जारी किया गया है जिसमें 24.20 किलोवाट की असामान्य अधिकतम मांग दर्शाई गयी है जिस पर अनुचित राशि रू0 7128.00 का गलत तरीके से अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। उनका कनेक्टेड लोड कभी भी कनेक्टेड लोड से ज्यादा नहीं रहा है। विद्युत बिल में गलत तरीके से लगाये गये अतिरिक्त डिमाण्ड चार्ज को ठीक कराने हेतु विभगीय कार्यालय में सम्पर्क किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित एम.आर.आई. रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करायी गई। विद्युत बिल लगातार बढ़ता जा रहा है जिस पर विलम्ब शुल्क भी लग रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4426 दिनांक 17.10.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उपरोक्त वाद से सम्बन्धित माह 07 / 2025 के विद्युत बिल में तकनीकी कारणों से त्रुटिपूर्ण अतिरिक्त भार 24.20 प्रदर्शित हुआ था जिसकी पुष्टि एम. आर.आई.रिपोर्ट से करने पर अतिरिक्त भार 16.87 वास्तविक पाया गया, जिसके अनुसार परिवादी पर वास्तविक रूप से अतिरिक्त पेनल्टी रू0 3903.00 लिया जाना था, परन्तु सिस्टम द्वारा प्रदर्शित अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण भार पेनल्टी रू0 7128.00 लिया गया जिसे माह 09 / 2025 के बिल में अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण भार पेनल्टी रू0 3225.00 घटा दिया गया है, जिसके उपरान्त परिवादी का संशोधित बिल रू0 60034.00 बना दिया गया हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 145/2025–26 दिनांक : 25.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, परिवादी
भदईपुरा, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विपिन चन्द्र तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K000007614 (22 किलोवाट व्यवसायिक) का माह जुलाई 2025 का विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसमें 34.64 किलोवाट की असामान्य अधिकतम मांग दर्ज करते हुए राशि रू0 6393.60 अनुचित अतिरिक्त मांग शुल्क जोड़ा गया है। जबकि उनका कनेक्टेड लोड कभी भी कनेक्टेड लोड से अधिक नहीं रहा है। विद्युत बिल में गलत तरीके से लगाये गये अधिकतम मांग शुल्क को सही कराने के लिए कई बार विभगीय कार्यालय में सम्पर्क किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित एम.आर.आई. रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करायी गई। विद्युत बिल लगातार बढ़ता जा रहा है जिस पर विलम्ब शुल्क भी लग रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–145 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4214 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन के माह 04 / 2025 से माह 08 / 2025 तक मासिक डिमाण्ड की जांच की गई। परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या–18615448 की उपरोक्त अवधि में दर्ज मासिक डिमाण्ड एवं परिवादी के विद्युत बिल में निर्गत मासिक डिमाण्ड का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	माह	बिल के अनुसार डिमाण्ड	एम.आर.आई. के अनुसार डिमाण्ड
1.	अप्रैल–25	35.69	34.59
2.	मई–25	34.36	34.14
3.	जून–25	34.14	34.64
4.	जुलाई–25	34.64	35.05
5.	अगस्त–25	35.06	35.68

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि परिवादी के संयोजन द्वारा 26 केवीए स्वीकृत विद्युत भार से अधिक की खपत की जा रही है। साथ ही परिवादी को माहवार वास्तविक खपत के अनुसार ही विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में परिवादी द्वारा माह 08 / 2025 के विद्युत बिल के सापेक्ष रू0 1,31,145.00 का भुगतान दिनांक 16.09.2025 कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा माह 04 / 2025 से लगातार अपने स्वीकृत भार 26 केवीए से अधिक विद्युत भार का उपभोग किया जा रहा है। परिवादी के मीटर की एमआरआई रिपोर्ट में अंकित अधिकतम डिमांड से इसकी पुष्टि होती है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को उसकी वास्तविक खपत के अनुसार ही बिल निर्गत किए गए हैं, जिसकी देयता परिवादी पर बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 148/2025–26 दिनांक : 25.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पूजा सिंह पत्नी श्री ब्रम्हा दत्त, परिवादी
जनपथ रोड, रूद्राक्ष कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पूजा सिंह पत्नी श्री ब्रम्हा दत्त का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A212693427 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है, जब से स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है तब से पिछले बिलों की अपेक्षा बिल अधिक आ रहा है। साथ ही न्यूनतम बिल राशि रू0 140.00 के स्थान पर रू0 340.00 कर दिया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 22.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4286 दिनांक 30.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का माह 08/2025 का विद्युत बीजक मापक रीडिंग के आधार पर निर्गत किया गया है। परिवादिनी के परिसर पर पुराना मापक बिलिंग प्रणाली में

क्रमशः 2....

आईडीएफ था, जिसके सापेक्ष दिनांक 15.08.2025 को आईडीएफ मापक हटाकर, नया स्मार्ट मापक (मापक संख्या–42046249) स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादिनी का माह 08 / 2025 (दिनांक 31.08.2025 तक) निर्गत विद्युत बीजक के सापेक्ष रू0 1293.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.08.2025 को परिवादी का त्रुटिपूर्ण मापक हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को माह 08 / 2025 में मापक में अंकित रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त मीटर की जांच हेतु चैक मापक के लिए भी कोई आवेदन नहीं किया गया है। चूंकि अविवादित मीटर में अंकित खपत के आधार पर निर्गत बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 149/2025–26 दिनांक : 25.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गीता विष्ट पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह विष्ट, परिवादी
ग्राम चुटकी देवरिया, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गीता विष्ट पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह विष्ट का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2G210172399 (03 किलोवाट घरेलू) का पिछले 03 माह से विद्युत मीटर खराबी के कारण विद्युत बिल जारी नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा ऑनलाईन कस्टमर केयर पर भी शिकायत की गई, तो उन्हें 2–3 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया गया। 15 दिन बीत जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित खराब विद्युत मीटर को बदलवाने एवं संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 22.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4425 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खराब होने के कारण विद्युत बिल निर्गत नहीं हो पा रहा था। दिनांक 23.09.2025 को परिवादिनी का खराब

क्रमशः 2....

विद्युत मापक बदलकर नया स्मार्ट विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। नये स्मार्ट मापक की रीडिंग के आधार पर परिवादिनी को विद्युत बिल रू0 8449.00 का निर्गत कर दिया गया है। विभाग द्वारा किए गये उक्त कार्य की पुष्टि भी परिवादिनी द्वारा ई–मेल के माध्यम से अपनी सहमति देकर प्रकट की गई। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मग्राल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 150/2025–26 दिनांक : 25.10.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 अग्रवाल फ्रोजेन फूड्स,
मलसा रोड, ग्राम लालपुर, किच्छा। परिवादी
बनाम
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 अग्रवाल फ्रोजेन फूड्स का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000121718 (1000 केवीए औद्योगिक) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है। जबकि उनका उक्त प्लांट माह दिसम्बर से मार्च तक चालू रहता है, जिस दौरान विभाग द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर बिल जारी किए जाते है। लेकिन ऑफ सीजन माह अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 तक जो बिल जारी किए गये है वह गलत खपत दर्ज करते हुए बनाये गये है। माह अप्रैल में रू0 635726.00, जून में रू0 426420.00 एवं अगस्त में 444408.00 का बनाया गया है, जो गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के ऑफ सीजन में जारी विद्युत बिलों को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 23.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4240 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट का अवलोकन करने पर परिवादी की वास्तविक खपत सही पाई गई है। इसके

क्रमशः 2....

अतिरिक्त परिवादी के ऑफ सीजन अवधि माह अप्रैल 2025 एवं माह मई 2025 के बिल में फिक्स डिमांड चार्ज राशि सिस्टम द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अधिक चार्ज की गई थी। जिसे तत्समय ही परिवादी के दोनों माह के विद्युत बिलों में क्रमशः रू0 2,15,250.00 एवं रू0 2,15,250.00 (कुल धनराशि रू0 4,30,500.00) का समयोजन दे दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 151/2025–26 दिनांक : 25.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 अग्रवाल फूड्स इण्डिया, परिवादी
मलसा रोड, ग्राम लालपुर, किच्छा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी मै0 अग्रवाल फूड्स इण्डिया का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000026276 (700 केवीए औद्योगिक) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है। जबकि उनका उक्त प्लांट माह दिसम्बर से मार्च तक चालू रहता है, जिस दौरान विभाग द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर बिल जारी किए जाते है। लेकिन ऑफ सीजन माह अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 तक जो बिल जारी किए गये है वह गलत खपत दर्ज करते हुए बनाये गये है। माह मई में रू0 644991.00, जून में रू0 505461.00, जुलाई में 508245.00 एवं अगस्त में 576938.00 का बनाया गया है, जो गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के ऑफ सीजन में जारी विद्युत बिलों को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 23.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 व 24.10.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4241 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.

क्रमशः 2....

डी.एम. डाटा का अवलोकन करने पर वास्तविक खपत सही पाई गई। इसके अतिरिक्त परिवादी के ऑफ सीजन अवधि अप्रैल माह के बिल में फिक्स डिमांड चार्ज राशि रू0 2,15,250.00 लिया गया जो कि सिस्टम द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना के आधार पर था, जबकि नियमानुसार इसका 30 प्रतिशत ही चार्ज किया जाना था। तत्समय इसका संज्ञान लेते हुए परिवादी के विद्युत बिल में संशोधित गणना के उपरान्त रू0 1,45,550.00 का समयोजन दे दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 153/2025–26 दिनांक : 25.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती दिव्या तिवारी पत्नी श्री मनोज कुमार तिवारी,
105, माँ भगवती इन्क्लेव, फुलसुंगा, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती दिव्या तिवारी पत्नी श्री मनोज कुमार तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A212183604 (02 किलोवाट घरेलू) का दिनांक 23.08.2025 को पुराना मीटर उतारकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। जबकि उनका पुराना विद्युत मीटर बिल्कुल ठीक चल रहा था वास्तविक खपत दर्ज कर रहा था। पहले उनका माह जून से जुलाई तक (33 दिन) का विद्युत बिल 182 यूनिट का बना था लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के उपरान्त उनका बिल माह जुलाई से अगस्त तक (45 दिन) का 310 यूनिट दर्ज करते हुए बनाया गया है, जो वास्तविक खपत से बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4325 दिनांक 08.10.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बिलिंग विवरण जांचने पर माह 09 / 2025 (दिनांक 18.07.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक) का बिल विद्युत मापक में दर्ज 310 यूनिट खपत के आधार पर बिल बनाया गया है। परिवादिनी के उक्त परिसर पर पुराना मापक संख्या—96301679 को दिनांक 23.08.2025 में नये स्मार्ट मापक सख्या—42050186 से बदल दिया गया है। वर्तमान में परिवादिनी पर माह 09 / 2025 (दिनांक 18.07.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक) निर्गत विद्युत बिल के सापेक्ष रू0 1660.00 भुगतान हेतु लम्बित है। परिवादी द्वारा अपने विद्युत मापक की जांच हेतु चैक मापक स्थापित करने से भी इनकार कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं, जबकि परिवादी द्वारा स्वयं ही अपने मीटर की जांच हेतु चैक मापक का आवेदन करने से इनकार कर दिया गया है। अतः अविवादित मीटर में अंकित विद्युत खपत के आधार पर निर्गत बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 157/2025–26 — दिनांक : 25.10.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती दीपानिता बैरागी, — परिवादी
ग्राम कालीनगर, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती दीपानिता बैरागी का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा 01 किलोवाट भार के नये विद्युत संयोजन हेतु विभागीय कार्यालय में दिनांक 04.09.2025 को आवेदन किया गया। विभाग की ओर से कुछ कर्मचारी अडानी स्मार्ट मीटर लगाने आये, लेकिन वह स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते है। वह अपने पड़ोसी की तरह पुराना विभागीय मीटर लगवाना चाहते है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने नये विद्युत संयोजन पर मीटर लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3414 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी की उक्त शिकायत से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, रूद्रपुर कार्यालय की वार्ता एवं विभागीय कार्यवाही से उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। उक्त शिकायत के समाधान की पुष्टि परिवादिनी ने अपनी लिखित सहमति ई–मेल के माध्यम से भी प्रकट की है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादिनी का संतुष्टि ई–मेल पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। चूंकि परिवादिनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.10.2025

क्रमशः 2....

में अपने शिकायत को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार परिवादिनी की यह शिकायत को खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य